

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा - I) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (Audit-1) KERALA,
THIRUVANANTHAPURAM

सं.प्र.म.ले/ लेखापरीक्षा - I/रोकड/2023-24/
No.PAG/Audit-1/Cash/2023-24/

दिनांक
Dated:.05.09.2023

परिपत्र सं./CIRCULAR No.50

विषय: व्यक्तिगत कंप्यूटर अग्रिम 2023-24 हेतु आवेदन ।
Sub: Application for Personal Computer Advance 2023-24

मुख्यालय अनुदेश के अनुसार, इस कार्यालय के पदाधिकारी जो वर्ष 2023-24 के दौरान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत निधि से व्यक्तिगत कंप्यूटर अग्रिम का लाभ उठाने के इच्छुक हैं, वे अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में का.स्था. (रोकड)/ लेखापरीक्षा - I. अनुभाग को प्रस्तुत करें। जी एफ आर के प्रावधानों के अलावा अग्रिम का अनुदान निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा।

As per HQrs instruction, officials of this office who are desirous of availing Personal Computer Advance during 2023-24 from the fund to be sanctioned by the Govt. of India may submit their application in the prescribed form (attached) to OE (Cash)/Audit-1 section. The grant of advance will be subject to the following conditions besides provisions in the G.F.Rs

व्यक्तिगत कंप्यूटर अग्रिम
Personal Computer Advance

कार्यालय ज्ञापन दिनांक 07/10/2016 के अनुसार कंप्यूटर अग्रिम के अनुदान की शर्तें ।
Conditions for grant of Computer Advance as per OM dated 07/10/2016.

सभी सरकारी कर्मचारी रु 50,000/- या पी सी के वास्तविक मूल्य, जो भी कम हो, के व्यक्तिगत कंप्यूटर अग्रिम के लिए योग्य हैं ।

All government employees are eligible for Personal Computer Advance of Rs 50,000/- or actual price of PC, whichever is lower.

कंप्यूटर अग्रिम के लिए पूरे सेवाकाल में अधिकतम पाँच बार ही अनुमति दी जाएगी ।
The computer advance will be allowed maximum five times in the entire service.

प्राप्त आवेदनों के आधार पर, निधियों की कुल आवश्यकता का निर्धारण किया जाएगा और निधियों के आबंटन के लिए मुख्यालय को सूचित किया जाएगा । मुख्यालय द्वारा आबंटन की प्राप्ति के बाद ही व्यक्तिगत आधार पर अग्रिम मंजूर की जाएगी ।

On the basis of applications received, the total requirements of funds will be assessed and intimated to headquarters for allotment of funds. Advance will be sanctioned only on receipt of allotment from headquarters on individual basis.

आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि **08.09.2023** है ।
The last date of receipt of application is **08.09.2023**

उसके बाद प्राप्त एवं निर्धारित फार्म में नहीं दिए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा ।
Applications received thereafter and applications not in the prescribed form will not be considered.

(व.उ.म.ले.(प्रशा.) के दिनांकके आदेशानुसार) (Vide orders of Sr.DAG(A) dated.....)

-ह- Sd/-

व.लेखापरीक्षा अधिकारी(रोकड़)
Sr.Audit Officer/Cash.

प्रतिलिपि/Copy to: -

1. सूचना पट्ट/ Notice Board.
2. सभी अनुभाग/All Sections.
3. शाखा कार्यालय, तृशूर/ Branch Office, Thrissur.
4. शाखा कार्यालय, कोट्टयम/ Branch Office, Kottayam
5. शाखा कार्यालय, कोजिकोड/ Branch Office, Kozhikode
6. कैप अनुभाग कोच्ची/ CAP Section Kochi
7. म ले का सचिव/ Secretary to AG
8. सभी ग्रूप अधिकारी/All Group Officers
9. परिपत्र बुक/ Circular Book